



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052020-219429
CG-DL-E-18052020-219429

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2020/वैशाख 28, 1942

No. 1357]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2020/VAISAKHA 28, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1518(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा एयर कंडीशनर और इसके सम्बद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**— (1) एयर कंडीशनर और इसके सम्बद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. एयर कंडीशनर और इसके सम्बद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) में “01.06.2020” अंकों को “01.01.2021” अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29014/63/2017-एलईआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 4354(अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry & Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O. 1518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, in Paragraph 1, in sub-Paragraph (2), for the figures “01.06.2020”, the following figures “01.01.2021” shall be substituted.

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 4354(E), dated the 05th December, 2019.